PWD-I

**छत्तीसगढ़ शासन**
**जल संसाधन विभाग**
**"मंत्रालय"**
**महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर**

क्र. 2261 /एफ 4–466/एस–2/31/औजप्र/21, नवा रायपुर, दिनांक 25/06/2024

**प्रति,**

**प्रमुख अभियंता,**
जल संसाधन विभाग,
शिवनाथ भवन, सेक्टर–19,
नवा रायपुर–अटल नगर (छ.ग.)

विषय :– **Business Reform Action Plan (BRAP), 2023-24 के संबंध में।**

संदर्भ :– 1. छ.ग.शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र.–एफ 20–35/2023/11/6, दिनांक 22.05.2024.

18/c

2. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर का पत्र क्र.–3451198/ए/औजप्र/छ.ग./024/4396, दिनांक 06.06.2024.

19/c

---00---

कृपया विषयांतर्गत प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रकरण में प्रमुख अभियंता के संदर्भित पत्र क्र.–2 के तारतम्य में, **औद्योगिक जल आबंटन के प्रकरणो में सतही जल हेतु प्रति ऑनलाईन आवेदन पर रू. 10,000/– एवं भू–जल हेतु आवेदन के प्रकरणों में प्रति ऑनलाईन आवेदन पर रू. 20,000/– तथा पेयजल आबंटन संबंधी प्रकरणों में, सतही एवं भू–जल हेतु प्रति ऑनलाईन आवेदन पर रू. 5,000/– आवेदन शुल्क निर्धारित किया जाता है।** आवेदन शुल्क की राशि, यदि प्रकरण में वांछित जल की अनुपल्बधता/आवेदन अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होता है या आवेदक द्वारा किसी कारण से आंवेदन दुबारा दिया जाता है तो प्रत्येक आवेदन हेतु देय होगी तथा आवेदन शुल्क की राशि वापसी, हस्तांतरित या समायोजित नहीं होगी।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, कृपया जल आबंटन के ऑनलाईन विभागीय पोर्टल में आवश्यक व्यवस्था शीघ्र करने का कष्ट करें एवं तद्नुसार शासन को अवगत करावें।

सहपत्र:– शून्य।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
27 JUN 2024
CE(M)
कक्ष......

T/S MIS
to
CE(M)
01/07

R.R.No. 375
Dt 02/7/2024

# <u>ऑनलाईन आवेदन पर आवेदन शुल्क</u>

1. औद्योगिक जल आबंटन के प्रकरणों में सतही जल हेतु प्रति रु. 10,000/-
2. औद्योगिक जल आबंटन के प्रकरणों में भू-जल हेतु प्रति रु. 20,000/-
3. पेयजल आबंटन संबंधी प्रकरणों में, सतही जल हेतु प्रति रु. 5,000/-
4. पेयजल आबंटन संबंधी प्रकरणों में, भू-जल हेतु प्रति रु. 5,000/-

**टिप :**-उपरोक्त निर्धारित आवेदन शुल्क को ऑनलाइन भुगतान करने की व्यवस्था वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, अतः उक्त आवेदन शुल्क निर्धारित करने शासन द्वारा जारी पत्र के दिनांक 25/06/2024 के पश्चात जो भी संस्थान जल आबंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन करेंगे उन्हें, ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था होने तक जल संसाधन विभाग के सम्बंधित कार्यपालन अभियंता को ऑफलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा।